अध्याय 5 : नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन तथा प्रवर्तन

लेखापरीक्षा उद्देश्यः क्या एईआरबी दक्ष नियामक निरीक्षणों तथा प्रवर्तन की प्रणाली के माध्यम से, निर्धारित नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन, नाभिकीय विद्युत संयत्रो, अन्य नाभिकीय सुविधाओं तथा विकिरण सुविधाओं द्वारा सुनिश्चित करने में समर्थ हुआ है

5.1 नियामक निरीक्षण तथा निर्धारित आवधिकता

आईएईए मानकों के अनुसार प्रत्येक सरकार एक संस्था को सुरक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व स्पष्टतया सौंपे और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उसे उत्तरदायी बनाए। मानक यह भी प्रावधान करते हैं कि नियामक निकाय को सुविधाओं तथा कार्यकलापों का निरीक्षण करना चाहिए और यह सत्यापन करें कि प्राधिकृत पक्ष नियामक आवश्यकताओं तथा अधिकार पत्र में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करती हैं। सुविधाओं तथा कार्यकलापों के निरीक्षणों में घोषित तथा अघोषित दौरे शामिल होते हैं।

नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं के नियमन पर एईआरबी सुरक्षा संहिता के अनुसार नियामक निरीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है किः

- प्रचालन कर्मचारी निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हैं और जहाँ जरूरी हैं वे सत्यापित हैं,
- सुरक्षित प्रचालनों के लिए जैसे आवश्यक है, संरचनाओं, प्रणालियों तथा संघटकों की गुणवत्ता तथा निष्पादन अनुरक्षित किए गए हैं,
- सभी निर्धारित निगरानी प्रक्रियाओं, संहिताओं, मानकों तथा नियमों का पालन अनुज्ञा प्राप्त करता द्वारा किया जा रहा है,
- सुविधाएं अनुमोदित तकनीकी विनिर्देशनों के अनुसार तथा सहमतियों में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार परिचालन करती हैं, और
- कमियां जो पूर्व निरीक्षणों में देखी गई थीं, दूर कर दी गई हैं।

सितम्बर 2002 में एईआरबी द्वारा जारी की गई 'नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं में नियामक निरीक्षण तथा प्रवर्तन' नामक सुरक्षा मार्गदर्शिका, नियामक निरीक्षण (आरआई) करने और निरीक्षणों के अनुवर्ती कार्य के रूप में की जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाइयों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।

अनुमति प्रक्रिया के सभी चरणों के दौरान यथा आवश्यक निरीक्षण किए जाने हैं।

आवधिकता : एनपीपी तथा अनुसंधान रिएक्टरों में आरआई तथा प्रवर्तन के एईआरबी सुरक्षा नियम पुस्तक के अनुसार निर्माणाधीन एनपीपी तथा परिचालित यूनिटों के आरआई निम्नलिखित बारम्बारता में किए जाने चाहिएः

- निर्माणाधीन एनपीपी : तीन महीनों में एक बार (निर्माण के चरण पर निर्भर)

- परिचालित एनपीपी : छः माह में एक बार
- अनुसंधान रिएक्टर : छः माह में एक बार परन्तु बारम्बरता अभिकल्प विशेषताओं के आधार पर कम की जा सकेगी।

एईआरबी सुरक्षा समीक्षाओं के आधार पर विशेष यूनिट अथवा यूनिटों के समूह के लिए किसी भी समय पर, इन निरीक्षणों की बारम्बारता बढ़ा सकता है।

विकिरण सुविधाओं के मामले में हमने देखा कि एईआरबी ने आरआई के लिए कोई बारम्बारता निर्धारित नहीं की थी।

5.2 विकिरण सुविधाओं के नियामक निरीक्षण में कमी

जबकि एनपीपी सहित नाभिकीय ईंधन चक्र सुविधाओं के संबंध में आरआई की एईआरबी द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, तब विकिरण सुविधाओं के मामले में आरआई में सार्थक कमियां पाई गई।

यह देखा गया था कि विकिरण सुविधाओं के लिए आरआई की कोई बारम्बारता निर्धारित नहीं की गई थी। एईआरबी द्वारा निर्धारित किसी निर्देशचिन्ह के अभाव में हमने विकिरण सुविधाओं के आरआई करने में एईआरबी के निष्पादन की आईएईए–टेकडाक[17] द्वारा सुझाई गई आवधिकता (बारम्बरताओं की श्रेणी से न्यूनतम बारम्बारता) के साथ तुलना की। आईएईए–टेकडाक के अनुसार सुझाई गई निरीक्षण बारम्बारता अनुबन्ध 2 में दिए गए हैं। अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हमने देखा कि विकिरण सुविधाओं के आरआई में निम्न ब्यौरों के अनुसार गम्भीर अपूर्णताएं तथा कमियां हुई थीं:

5.2.1 औद्योगिक रेडियोग्राफी तथा रेडियोथेरेपी सुविधाएं

हमने विकिरण सुविधाओं अर्थात औद्योगिक रेडियोग्राफी तथा रेडियोथेरेपी की प्रमुख श्रेणियों की आरआई प्रक्रिया की समीक्षा की जहाँ आईएईए–टेकडाक के द्वारा वार्षिक आरआई सुझाई गयी थी। औद्योगिक रेडियोग्राफी तथा रेडियोथेरेपी यूनिटों के दोनों मामलों में विकिरण जोखिम सम्भावना 'उच्च' के रूप में निर्धारित की गई थी। 2005–06 से 2011–12 तक की अवधि के लिए औद्योगिक रेडियोग्राफी तथा रेडियोथेरेपी यूनिटों के आरआई का वर्ष वार ब्यौरे तथा इस अवधि के दौरान किए गए आर आई की प्रवृत्ति तालिका 5 में दिए गए हैं।

[17] आईएईए तकनीकी दस्तावेज

तालिका – 5
औद्योगिक रेडियोग्राफी तथा रेडियोथेरेपी सुविधाओं के नियामक निरीक्षण
(2005–06 से 2011–12 तक)

वर्ष	औद्योगिक रेडियोग्राफी			रेडियोथेरेपी		
	यूनिटों की कुल संख्या	यूनिटों की संख्या जिसका आरआई किया गया	अआयोजित आरआई की प्रतिशतता	यूनिटों की कुल संख्या	यूनिटों की संख्या जिसका आर आई किया गया	अआयोजित आरआई की प्रतिशतता
2005-06	461	126	72.67	218	23	89.45
2006-07	466	74	84.12	231	24	89.61
2007-08	486	42	91.36	230	07	96.96
2008-09	505	39	92.28	249	10	95.98
2009-10	568	57	89.96	266	11	95.86
2010-11	436	78	82.11	306	46	84.97
2011-12	463	61	86.83	317	141	55.52
कुल	**3385**	**477**	**85.91**	**1817**	**262**	**85.58**

जैसा कि तालिका से देखा गया 2005–2006 से 2011–2012 तक के सात वर्षो के दौरान औद्योगिक रेडियोग्राफी तथा रेडियोथेरेपी दोनों के लिए आरआई में कमी 85 प्रतिशत से अधिक थी।

डीएई ने बताया (फरवरी 2012) कि आईएईए ने विकिरण सुविधाओं के संबंध में किए जाने वाले आरआई की बारम्बारता तथा क्षेत्र से संबंधित कोई सिफारिश नहीं की थी। उन्होंने आगे बताया कि विभिन्न देशों ने निरीक्षणों सहित अपने देश में विकिरण सुविधाओं का नियामक नियंत्रण करने में भिन्न अभिगम अपनाए गए थे। एईआरबी ने आरआई करने में निरंतर सुधार किया है। आरआई की संख्या में कमी विकिरण सुविधाओं में तीव्र वृद्धि तथा अपर्याप्त अवसंरचना के कारण थी। इसके बावजूद एईआरबी सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट के माध्यम से इन सुविधाओं की निगरानी जारी रखे हुए है। विकिरण सुविधाओं की केवल नमूना जांच की जा सकी थीं। श्रमशक्ति बढ़ने के साथ, एईआरबी, इन सुविधाओं की आरआई की पूर्णता के प्रति प्राथमिकता दे रहा था।

जैसा कि पूर्व में कहा है, एईआरबी में ऐसे मानदण्ड के अभाव के मददेनजर, लेखापरीक्षा विश्लेषण के मानदण्ड, आईएईए–टेकडाक में निर्धारित निर्देश चिन्हों से लिए गए थे जो आईएईए के तकनीकी दस्तावेज हैं।

एईआरबी ने औद्योगिक रेडियोग्राफी तथा रेडियोथेरेपी दोनों के 85 प्रतिशत नियामक निरीक्षण नहीं किए हैं यद्यपि इन्हें उच्च विकिरण जोखिम सम्भावना वाले रूप में पहचाना गया है।

5.2.2 नाभिकीय औषधि, न्यूक्लेओनिक गेज तथा नैदानिक रेडियोलाजी (एक्सरे उपकरण)

हमने विकिरण सुविधाओं की लघु श्रेणी अर्थात नाभिकीय औषधि, न्यूक्लेओनिक गेज तथा नैदानिक रेडियोलाजी (एक्सरे उपकरण) की आरआई प्रक्रिया की समीक्षा की।

आईएईए–टेकडाक के अनुसार सुझाए गए आरआई के न्यूनतम बारम्बारता मानक

सुविधा का प्रकार	आरआई की बारम्बारता	आरआई की न्यूनतम बारम्बारता
• नैदानिक रेडियोलाजी–केवल पारम्परिक एक्सरे उपकरण वाले केन्द्र	3–5 वर्ष	पाँच वर्षों में कम से कम एक बार
• नाभिकीय औषधि	1–2 वर्ष	दो वर्षों में कम से कम एक बार
• विकिरण गेज (न्यूक्लेओनिक गेज)	3–5 वर्ष	पाँच वर्षों में कम से कम एक बार

हमने 2005–06 से 2011–12 तक की अवधि के लिए किए गए उनके आरआई से संबंधित डाटा के साथ आईएईए–टेकडाक में निर्धारित आरआई की न्यूनतम बारम्बारता के संदर्भ में नाभिकीय औषधि, न्यूक्लेआनिक गेज तथा नैदानिक रेडियोलाजी (एक्सरे उपकरण) के आरआई की पर्याप्तता का आंकलन किया। अनुबन्ध 3 में निरीक्षण के ब्यौरे दिए गए हैं तथा ग्राफ 4 इन सुविधाओं में आरआई की अपर्याप्तता प्रदर्शित करता है।

ग्राफ – 4

नाभिकीय औषधि केन्द्रों, न्यूक्लेओनिक गॉज तथा नैदानिक रेडियोलाजी सुविधाओं के नियामक निरीक्षणों में कम
(2005–06 से 2011–12)

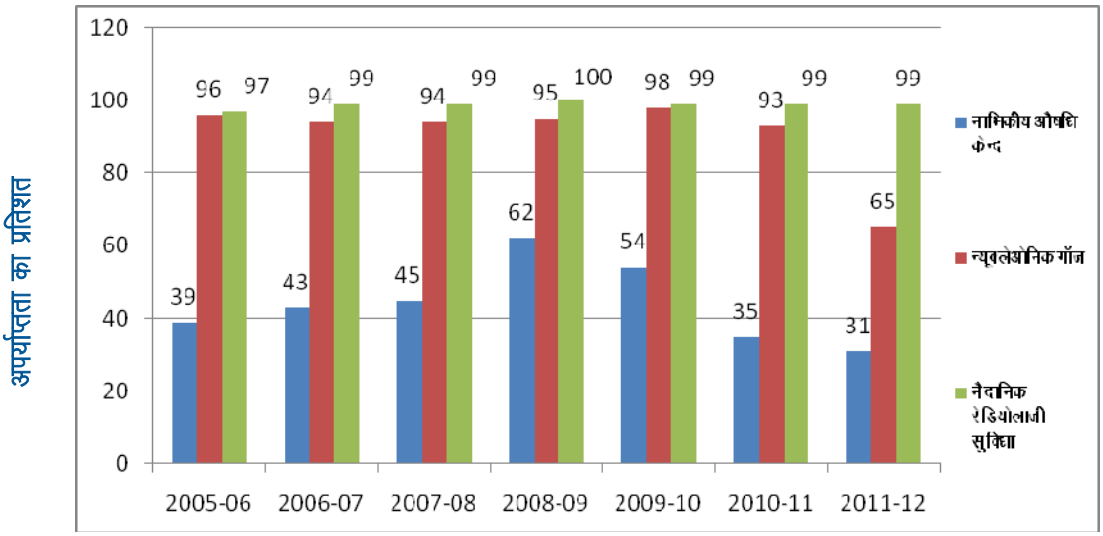

ग्राफ से यह देखा गया है कि न्यूक्लेओनिक गेज तथा नैदानिक रेडियालाजी (एक्सरे उपकरणों) के मामले में शायद ही कोई निरीक्षण किया गया है।

प्रत्येक वर्ष नैदानिक रेडियोलाजी सुविधाओं के मामले में नियामक निरीक्षणों में 97 प्रतिशत से अधिक की कमी यह दर्शाती है कि एईआरबी जनता के स्वास्थ्य से संबंधित यूनिटों का प्रभावी नियामक निरीक्षण नहीं कर रही है।

डीएई ने बताया (फरवरी 2012) कि नाभिकीय औषधि तथा न्यूक्लेओनिक गेज के संबंध में स्रोतों की निम्न जोखिम सम्भावना तथा समीक्षा के लिए आवधिक सुरक्षा स्थिति रिपोर्ट की उपलब्धता पर नियामक नियंत्रण उपाय निश्चित करते समय विचार किए गए थे। इन निवेशों के आधार पर लक्ष्यित निरीक्षण किए गए थे।

सभी प्रकार की विकिरण सुविधाओं के आरआई के विषय के संबंध में डीएई ने बताया कि विकिरण सुविधाओं के लिए नियामक नियंत्रण बढ़ाने के भाग के रूप में एईआरबी ने 'नियामक निरीक्षण तथा विकिरण सुविधाओं के प्रवर्तन', नामक सुरक्षा नियम पुस्तक को तैयार करना आरम्भ किया था जो प्रस्तुतीकरण (उत्पादन) के अन्तिम चरण में थी। डीएई का उत्तर वचनबद्धता की कमी तथा एईआरबी के सृजन से 29 वर्षों से अधिक से विषय का समाधान करने में शिथिलता की पुष्टि करता है।

इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशचिन्हों की उपलब्धता के बावजूद ऐसी सुविधाओं के नियामक निरीक्षण करने की आवधिकता एईआरबी ने निर्धारित नहीं की है।

5.3 नियामक निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब

एईआरबी सुरक्षा नियम पुस्तक के अनुसार प्रवर्तन पत्रों के साथ–साथ अन्तिम आरआई रिपोर्ट आरआई की तारीख से 15 दिनों के अन्दर जनोपयोगी सेवाओं को जारी की जानी चाहिए।

तालिका–6 2005–06 से 2011–12 तक के दौरान आयोजित आरआई की संख्या और आरआई रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब से संबंधित डाटा देती है।

तालिका – 6
नियामक निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने में विलम्ब

सुविधा का प्रकार	आयोजित आर आई की संख्या	यूनिटें जहाँ आर आई रिपोर्ट जारी करना विलम्बित हुआ	विलम्ब की सीमा (दिनों में)
नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं (निर्माणाधीन)	91	25	1 से 31 दिन
नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं/अनुसंधान रिएक्टर (प्रचालनरत)	166	21	1 से 13 दिन
नाभिकीय ईंधन चक्र सुविधाएं	188	99	1 से 38 दिन
विकिरण सुविधाएं	1778	474	1 से 194 दिन
जोड़	2223	619	

यह देखा गया था कि विलम्ब ने आरआई रिर्पोटों में यथा प्रदर्शित सुरक्षा विषयों के निपटान को प्रभावित कियां।

एईआरबी ने बताया (फरवरी 2012) कि निरीक्षण करने के बाद आरआई दल एक्जिट बैठक के दौरान सुविधाओं को मसौदा रिपोर्ट जारी करते हैं। तब आरआई मसौदा रिपोर्ट एईआरबी के संबंधित प्रभाग के निदेशक को प्रस्तुत की गई थीं और उसकी समीक्षा तथा अनुमोदन के बाद अन्तिम रिपोर्ट सुविधाओं को भेजी गई थीं। कुछ मामलों में बाद के निरीक्षणों अथवा अन्य सरकारी कार्य के कारण कार्यालय में निदेशक की अनुपलब्धता के कारण रिपोर्ट जारी करने में कुछ विलम्ब हुआ। उन्होने आगे बताया कि किसी सुरक्षा महत्व की आपत्तियों के मामलों में उन्हें संयंत्र प्रबन्धन के साथ सीधे उठाया गया था और सुरक्षा समितियों द्वारा समीक्षा की गई थी।

5.4 निरीक्षण रिपोर्टों में आपत्तियों के उत्तरों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

एईआरबी सुरक्षा नियम पुस्तक के अनुसार आरआई रिपोर्टों में आपत्तियों के उत्तर रिपोर्टों की प्राप्ति से एक माह के अन्दर जनोपयोगी सेवाओं द्वारा भेजे जाने चाहिए। 2005–06 से 2011–12 तक की अवधि के उत्तरों को प्रस्तुत न करने और उत्तर प्रस्तुत करने में विलम्ब से संबंधित डाटा तालिका – 7 में दिए गए हैं।

तालिका – 7
निरीक्षण रिपोर्टों में आपत्तियों के उत्तर

सुविधा का प्रकार	आयोजित आर आई की संख्या	उत्तर प्रस्तुत करने में विफलता	उत्तरों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब	दिनों की संख्या में विलम्ब की सीमा	विलम्बों तथा उत्तरों के प्रस्तुत न करने की प्रतिशतता
नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं (निर्माणधीन)	91	2	58	1 से 125 दिन	66
नाभिकीय विद्युत परियोजनाएं/अनुसंधान रिएक्टर (प्रचालनरत)	166	25	75	1 से 153 दिन	60
नाभिकीय ईंधन चक्र सुविधाएं	188	शून्य	131	1 से 324 दिन	70
विकिरण सुविधाएं	1778	281	115	1 से 561 दिन	22
जोड़	2223	281	379		

हमने देखा कि 13 प्रतिशत से अधिक मामलों में आरआई रिपोर्टों की आपत्तियों के उत्तर बिल्कुल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अलावा 17 प्रतिशत मामलों में आरआई रिपोर्टों के उत्तरों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुए थे।

डीएई ने बताया (फरवरी 2012) कि प्रायः जनोपयोगी सेवाएं अपने उत्तर आरआई रिपोर्टें के जारी करने की तारीख से तीन से चार महीनों के भीतर भेजती हैं। तथापि आरआई रिपोर्टों के उत्तर शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए जनोपयागी सेवाओं को अनुस्मारक भेजे गए थे। विकिरण सुविधाओं के मामले में यह बताया गया था कि निरीक्षण

के दौरान देखी गई किसी कमी के लिए तुरन्त सुधारात्मक उपायों के आदेश दिए गए थे और कार्यान्वित किए गए थे तथा देरी को न्यूनतम करने के लिए उन्नत वेब आधारित परस्परव्यापी प्रणाली विकसित की जा रही थी।

डीएई का उत्तर उत्तरों के प्रस्तुतीकरण में निर्धारित समय सारणी से बाहर विलम्बों की पुष्टि करता है।

5.5 प्रचालनरत संयत्रों के लिए सुरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में विलम्ब

जैसा कि पूर्व में बताया गया, केन्द्र सरकार द्वारा पहचाने गए एनपीपी तथा अन्य विकिरण सुविधाओं में प्रचालन सयंत्रों की सुरक्षा समीक्षा समिति (एसएआरसीओपी) सुरक्षा विनियमों की निगरानी करती है और प्रवर्तन करती है। लेखापरीक्षा द्वारा अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि एसएआरसीओपी ने एनपीपी तथा अन्य सुविधाओं की सुरक्षा समीक्षा के लिए 1987 में अपने आरम्भ से 620 बार से अधिक बैठकें की थीं। इन बैठकों के दौरान इसने 3200 सिफारिशें की थीं।

एसएआरसीओपी सिफारिशों, उनके अनुपालन तथा लम्बन से संबंधित डाटा तालिका–8 में दिए गए हैं:

तालिका – 8
एसएआरसीओपी सिफारिशों का अनुपालन तथा लम्बन

वर्ष	नाभिकीय विद्युत संयंत्र			फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर (आईजीसीएआर)[18]		
	जारी सिफारिशें	निपटाई गई	लम्बित तथा प्रगति में	जारी सिफारिशें	निपटाई गई	लम्बित तथा प्रगति में
2004	2406	2276	130	186	179	7
2005	80	53	27	11	6	5
2006	137	111	26	0	0	0
2007	96	79	17	0	0	0
2008	58	43	15	5	0	5
2009	41	21	20	0	0	0
2010	74	52	22	9	0	9
2011	94	5	89	3	0	3
जोड	**2986**	**2640**	**346**	**214**	**185**	**29**

जैसा कि तालिका से देखा गया अनुपालन के लिए लम्बित 375 सिफारिशों में से 137 2005 से पूर्व अवधि से संबंधित हैं।

एईआरबी ने बताया (फरवरी 2012) कि एसएआरसीओपी सिफारिशें मुख्यतया सुरक्षा सुधारों और विश्वास निर्माण उपायों के लिए थी और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के प्रवर्तन तथा अनुवर्ती कार्रवाई, जोखिम की गम्भीरता के आधार पर क्रमिक अभिगम अपनाया गया। उन्होंने आगे बताया कि लम्बित सिफारिशों की संख्या संयंत्र की सुरक्षा स्थिरता को प्रदर्शित नहीं करेंगी तथा वे उन मामलों से संबंधित थीं जिनको समय की आवश्यकता

[18] इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र कलपक्कम

होगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक नया डाटाबेस जो अनुवर्ती कार्रवाइयों की विशेष आवश्यकताओं को समायोजित करने में सक्षम होगा, विकसित किया जा रहा था।

एईआरबी की प्रतिक्रिया इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए कि यद्यपि एसएआरसीओपी का अर्थ एनपीपी तथा अन्य विकिरण सुविधाओं में सुरक्षा विनियमन लागू करने से सम्बन्ध, है परन्तु यह अपनी सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका जो अनेक वर्षों से लम्बित थीं। नाभिकीय सुरक्षा नियामक के रूप में एईआरबी को अपनी सिफारिशें लागू करने के लिए सामयिकता निर्धारित करनी चाहिए थी। निश्चित सीमा अवधियों से अधिक समय से लम्बित सभी सिफारिशों की समीक्षा करने की भी आवश्यकता थी।

5.6 केरल में दोषी एक्सरे यूनिटों के प्रति नियामक कार्रवाई आरम्भ न करना

विकिरण सुरक्षा निदेशालय (डीआरएस) केरल ने अपने निरीक्षणों के दौरान केरल में एक्सरे यूनिटों के प्रचालन में कमियां 2008–10 की अवधि के दौरान एईआरबी को सूचित की थीं। हमने देखा कि ये विचलन सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन में थे जिन पर एई अधिनियम की धारा 24 के संदर्भ में आरपीआर 2004 के नियम 35 के अनुसार दण्डनीय कार्रवाई आवश्यक थी। तथापि एईआरबी द्वारा दोषी यूनिटों के प्रति कोई प्रवर्तन या शास्तिक कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

डीएई ने बताया (फरवरी 2012) कि डीआरएस द्वारा सूचित कमियां प्रचालनात्मक विसंगतियां थीं। देखे गए उल्लंघन मुख्यतया व्यवहार विशिष्ट थे और अन्तस्थ सुरक्षा से संबंधित नहीं थे जिन्होंने संस्थान को निर्धारित अवधि के अन्दर कमियों को दूर करने में सक्षम बनाया।

तथ्य यह शेष रहता है कि एईआरबी तब भी जब केरल में यूनिटों के मामले में कमियों की ओर विशेषरूप से ध्यान दिलाया गया था, सुरक्षा प्रावधानों तथा स्वयं द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन का प्रवर्तन कराने में असफल हुआ था।

सिफारिशें

9. एईआरबी निम्न द्वारा नाभिकीय तथा विकिरण सुविधाओं के नियामक निरीक्षणों की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें:
   - जोखिम विश्लेषण आयोजित कर और ऐसे निरीक्षणों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निर्देशचिन्हों को ध्यान में रखते हुए नियामक निरीक्षणों की आवधिकताएं निर्धारित कर,
   - विकिरण सुविधाओं के लिए आईएईए द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नियामक निरीक्षणों का उत्तरदायित्व लेकर,
   - नियामक निरीक्षण रिपोर्टों को समय पर जारी करने और उनका अनुपालन सुरक्षित करने की शर्त लगाकर, और
   - विभिन्न विषयों के संबंधित महत्व के आधार पर एसएआरसीओपी की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सामयिकता निर्धारित करें।